राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :—2313 / 2024

महेश कुमार जांगिड़ —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये विशिष्ठ शासन सचिव सह मिशन निदेशक, एनएचएम विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला चूरू।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रतनगढ, चूरू।
4. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सुजानगढ, जिला चूरू।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 23.07.2024

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री प्रेम प्रकाश बुनकर, अधिवक्ता

समक्ष :— अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (संवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. इस अपील में अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 10.07.2024 (अनुलग्नक—1) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी जो लेखा सहायक के पद पर कार्यरत है, का पदस्थापन सीएमएचओ रतनगढ से बीसीएमओ, सुजानगढ किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क रहा है कि अपीलार्थी संविदाकर्मी है। अपीलार्थी की नियुक्ति Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules, 2022 के अधीन हुई थी। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानान्तरण उक्त नियमों के तहत नहीं किया जा सकता।
3. हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।
4. हमारे समक्ष यह तर्क प्रकट हुआ है कि अपीलार्थी संविदाकर्मी कार्मिक है। राजस्थान सरकार द्वारा संविदा के आधार पर कार्यरत कार्मिकों के सम्बन्ध में Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules, 2022 (नियम—2022) लागू किये हैं। उक्त नियम—2022 के नियम—16 में निम्न प्रकार से प्रावधान है:—

"**16. General conditions, ethics and observance.-** The person hired on contract shall,-

(i) observe general satisfactory conduct and ethics at the level expected under orders / rules and instructions issued by higher authorities;

(ii) not be transferred from one place to any other place;

(iii) not accept any full time / part time employment or engage in any other (work, business occupation or pursue any study course without prior approval of the Government;

(iv) comply the instructions regarding uniform/livery, if issued, for which an amount fixed by the Administrative Department with the concurrence of the Finance Department shall be paid."

5. उपरोक्त नियम 16 से स्पष्ट है कि जिन व्यक्तियों को संविदा के आधार पर रखा गया है, उनका स्थानान्तरण नहीं किया जा सकता। उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को उक्त नियमों के तहत मूल पदस्थापन स्थान पर पदस्थापित रखा जाए। अपीलार्थी के सम्बन्ध में उसे मूल पदस्थापन स्थान पर पदस्थापित रखने हेतु आदेश पारित किये जाए। इस आदेश की पालना एक माह में सुनिश्चित की जाए।

6. उपरोक्त आदेश के साथ इस अपील का निस्तारण किया जाता है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य (न्यायिक)